न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 28.02.2025

मुकदमा नम्बर 237/2022
ऑनलाईन नम्बर 2022/230
निराणा राम पुत्र लिच्छूराम जाति जाट निवारी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि खेत खसरा नम्बर 434 तादादी 7.2300 हैक्टेयर बारानी रोही बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादगत खेत की खातेदारी प्रार्थी के नाम सयूक्त खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी ने जब उपरोक्त खसरान की भूमि पर केसीसी बनाने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किया व जमाबन्दी की नकल दिनांक 08.12.2022 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 434 तादादी 7.2300 हैक्टेयर बारानी रोही बिग्गा बास रामसरा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से रामनिवास लिच्छूराम अंकित चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम पुत्र शुरू से ही निराणा राम पुत्र लिच्छूराम रहा है प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त विरास्तन दर्ज इंतकाल में प्रार्थी का नाम रामनिवास अंकित कर दिया है। प्रार्थी अनपढ़ व कृषि पेशा व्यक्ति है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नही रही है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर ही उक्त जानकारी हुई है। प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान—पत्र कितासर भाटियान में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम निराणा राम पुत्र लिच्छूराम जाति जाट निवासी कितासर भाटियान अंकित चला आ रहा है। प्रार्थी को गांव, रिश्तेदारी, जान—पहचान, मित्रगण सभी निराणा राम के नाम से जाना—पहचाना जाता है। वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का ही कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी वादगत खसरा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम निराणा राम पुत्र लिच्छूराम जाति जाट अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादगत भुमि में प्रार्थी का गलत नाम रामनिवास अंकित होने के कारण प्रार्थी को वादगत खसरा भुमि पर केसीसी बनाने टुबेल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 08.12.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम निराणा राम है मेरा नाम विरासतन इंतकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Umed Mittal
Date: 2025.03.24 15:34:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

दर्ज करते समय वंश वंशावली हल्का पटवारी को सही नाम बताने के बावजूद गलत रूप से रामनिवास अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम निराणा राम अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी के नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वादगत भुमि ग्राम बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत निवेदन किया गया है कि खेत खसरा नम्बर 434 तादादी 7.2300 हैक्टेयर बारानी रोही बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम रामनिवास अंकित हुआ है उसकी जगह निराणा राम पुत्र लिच्छूराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 434 तादादी 7.2300 हैक्टेयर बारानी रोही बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का अशुद्ध नाम रामनिवास अंकित हुआ है के स्थान पर शुद्ध नाम निराणा राम पुत्र लिच्छूराम अंकित कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:34:51 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)